राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बरः–0141–2740837 फैक्स नम्बरः– 0141–2742309)

क्रमांक : एफ.3(ख)एस–847/2013/लिंक.नं.12723/अलेसे–III/1178 दिनांक : 29.09.2022

कार्यालय आदेश

श्री शुभम जैमिनि, सहा. लेखाधिकारी–II, कार्यालय पंचायत समिति, मावली (उदयपुर) के आवेदन पत्र, अग्रेषण क्रमांक 1357 दिनांक 14.09.2022 के अनुसार माह अक्टूबर 2022 में दिनांक 04.10.2022 से 13.10.2022 तक भ्रमण हेतु मलेशिया एवं सिंगापुर जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एंव संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फैक्स न.आदि सूचित करेगे।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार नही होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नही करेगे।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नही करेगे।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नही करेगे।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नही किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नही किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)एस–847/2013/लिंक.नं.12723/अलेसे–III/1178 दिनांक : 29.09.2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मावली (उदयपुर)।
2. श्री शुभम जैमिनि, सहा. लेखाधिकारी–II, कार्यालय पंचायत समिति, मावली (उदयपुर)।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)